फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

भूरा पि. प्रताप कुम्हार अनवान तहसीलदार रायपुर
136 LRAct बनाम

किस्म मुकदमा धारा 155/2021 मु0न0 12/11/21 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
12-11-2021	प्रार्थी भूरा पिता प्रताप कुम्हार निवासी आसुन्दा हाल डेलाना के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के नाम पर ग्राम आसुन्दा में आराजी नं. 437 रकबा 0.09 हेक्टयर आराजी नं. 452 रकबा 0.33 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 हैक्टयर भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था मैं प्रार्थी एवं मेरा भाई कस्तूर पिछले कई वर्षों से ग्राम डेलाना तहसील सहाड़ा निवास कर रहे हैं हमारी पुश्तैनी जमीन ग्राम आसुन्दा में है। जिस पर हम काबिज है। राजस्व अभियान वर्ष 2008 में दौराने शिविर मुझ प्रार्थी भूरा पिता प्रताप कुम्हार को फौत [illegible] समाज का एक अन्य [illegible] था जो फौत हुआ था उसकी विरासत का नामान्तरकरण उसके वारिसान के नाम दर्ज किया गया इस दौरान मुझ भूरा के नाम दर्ज आराजियात को भी	[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
	जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 11.01.2008 को भूरा पिता डाडु के विधिक वारिसान के नाम दर्ज कर दी जबकी उक्त आराजियात के भूरा के वारिसान गेहरीलाल एवं मोहनी का कोई हक अधिकार नही है। अतः पुनः भूमि गेहरीलाल पिता भूरा एवं मोहनी पुत्री भूरा 1/2 कुम्हार के बजाय भूरा पिता प्रताप के नाम दर्ज करवाई जावे।	
	प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर मजमे आम प्रधापन गांवो के [illegible] 2021 मृतक भूरा के वारिसान की जांच की गई तो उपस्थित ग्राम वासियान एवं अन्य मौतबिरान द्वारा अवगत कराया कि कुम्हार समाज में भूरा नाम के दो व्यक्ति थे जिसमें भूरा पिता डाडु एवं भूरा पि. प्रताप के अलग-2 खातेदार थे। वर्ष 2008 में भूरा पिता डाडु नाम का खातेदार फौत हुआ था। जिसके वारिसान के एक पुत्र गेहरीलाल, एवं पुत्री मोहनी [illegible] नाम पर विरासत का [illegible] उस दौरान भूरा पिता प्रताप कुम्हार के नाम की भूमि भी भूरा को मृतक बताकर सेवनसे भूरा पिता डाडु के विधिक वारिसान के नाम दर्ज हो गई। जबकी इस	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ...	...
	आराजी से कोई लेना देना नहीं है मौके पर प्रार्थी भूरा एवं कस्तूर के कब्जे में [illegible] है। इसके अतिरिक्त मौके पर उपस्थित बालूराम पिता शोभा जी कुम्हार निवासी रामा [illegible] तहसील सलूम्बर के स्वतंत्र गवाह के रूप में बयान लिये गये। इसके साथ शिवलाल पिता कालूराम गुर्जर निवासी आसुन्दा के भी बयान लिये गये जिसमें भी प्रार्थी भूरा पिता प्रताप जीवित होना बताया गया। स्वयं भूरा पिता प्रताप कुम्हार के भी बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली है। इसके अतिरिक्त मृतक भूरा पिता डाऊ कुम्हार के पुत्र गेहरीलाल जिसके नाम भूमि दर्ज है से मोबाईल पर वार्ता की गई और वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया। जिस पर श्री गेहरीलाल के द्वारा स्वीकार किया गया कि वक्त सुनवाई अभिलेख भूरा पिता प्रताप के नाम की भूमि हमारे नाम पर [illegible] गई जो गलत है [illegible] पिता प्रताप के नाम की व्यक्ति जिन्दा है [illegible] नाम की भूमि पर वह भूरा व कस्तूर काबिज है भूरा पिता डाऊ के वारिसानों का हक अधिकार नहीं है गलती से हमारे नाम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:43 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज हो गई उसको पुनः हमारे बजाय भूरा पिता प्रताप के नाम दर्ज की जावे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवरण से पाया कि ग्राम आसुणा में भूरा कुम्हार नाम के दो व्यक्ति थे जिसमें ~~जिसके~~ भूरा पिता डाडू नाम की खातेदार फोत हुआ था उसके स्थान भूरा पिता प्रताप के नाम की भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 11.1.2008 को गहरीलाल पिता भूरा व मोहनी पुत्री भूरा के नाम दर्ज हो गई जो गलत है। पुनः भूरा पिता प्रताप के नाम भूमि दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी भूरा पिता प्रताप कुम्हार निवासी आसुणा हाल डेलाणा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आसुणा में स्थित आराजी नं. 437 रकबा 0.09 हैक्टर आराजी नं. 452 रकबा 0.33 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 हैक्टर ... से गहरीलाल ... पुत्री भूरा ½ कुम्हार के बजाय भूरा पिता प्रताप ½ कुम्हार के नाम इन्द्राज दुरस्त किया जावे पालनार्थ तहसीलदार सलूम्बर को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:43 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—155 / 2021 प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भुरा पिता प्रताप कुम्हार निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा — प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा — विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का खाखरमाला के ग्राम आसुणा के नवीन आराजी संख्या 437 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 452 रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है0 भूमि मे से गेहरीलाल पिता भुरा 1/4 मोवनी पुत्री भुरा 1/4 कुम्हार के बजाय भुरा पिता प्रताप 1/2 कुम्हार के नाम इन्द्राज दुरस्त किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 12.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।

12/11/2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:43 IST
Reason: SelfAttested